



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276434
CG-DL-E-23092026-276434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 764]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/अश्विन 1, 1948

No. 764]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 834(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग) समूह 'ग' (लिपिक वर्गीय पद) भर्ती नियमावली, 1987 और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी खण्ड) कोलकाता, अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2023 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, उच्चम सर्वेक्षण प्रभाग तथा घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, उच्चम सर्वेक्षण प्रभाग और घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग, अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाश की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है की ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	239* (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित	आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 कक्षा उत्तीर्ण (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के	शैक्षिक अर्हता - हाँ आयु - नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)		
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जायगा।			

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
(i) पिचासी प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) दस प्रतिशत रिक्तियाँ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग तथा घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारीवृंद में से भरी जाएंगी जिसके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अहर्क परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। विभागीय परीक्षा की अर्हता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु 50 वर्ष)। टिप्पण 1: यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिसमें की पूर्वावर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (iii) पाँच प्रतिशत रिक्तियाँ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग तथा घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से जयेष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जा सकेंगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 2: प्रोन्नति राज्यवार प्रभावी होगी। अवर श्रेणी लिपिक के काडर में रिक्तियों के पचासी प्रतिशत कोटे को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा मुख्यालय के अलावा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में दस प्रतिशत और पाँच प्रतिशत कोटे को उस कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में कार्यरत समूह 'ग' कर्मचारियों क्रमशः विभागीय परीक्षा तथा प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा।	स्तंभ (10) में उल्लिखित अनुसार।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) दिल्ली में (क्षेत्र संकार्य प्रभाग मुख्यालय, कृषि सांख्यिकी खंड, फरीदाबाद, उद्यम सर्वेक्षण इकाई,	लागू नहीं होता।

दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली तथा समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- (i) निदेशक (प्रशासन) अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - अध्यक्ष;
- (ii) उप निदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उच्चम सर्वेक्षण इकाई - सदस्य; तथा
- (iii) किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय या केंद्र सरकार के विभाग से समूह 'क' का एक अधिकारी - सदस्य।

2. समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-

- (i) उप महानिदेशक (प्रदेशिक) अथवा निदेशक (प्रदेशिक), राज्य की राजधानी में - अध्यक्ष;
- (ii) उप निदेशक, उच्चम सर्वेक्षण प्रभाग अथवा घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग अथवा क्षेत्र संकार्य प्रभाग (उस राज्य के अन्य क्षेत्रीय कार्यालय), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - सदस्य; तथा
- (iii) किसी अन्य केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग से समूह 'क' का एक अधिकारी - सदस्य।

[फा. सं. ए-12018/02/2026/प्रशा.-III (ई-90089)]

नीलम अरोड़ा, अवसर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Statistics Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2026

G.S.R. 834(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sample Survey Organisation (Data Processing Division and Survey Design & Research Division) Group 'C' (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1987 and the Central Statistics Office (Industrial Statistics Wing), Kolkata, Lower Division Clerk and Upper Division Clerk, (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2016 and the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Lower Division Clerk, Recruitment Rules, 2023 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk, in the Field Operations Division, Coordination and Quality Control Division, Enterprise Survey Division and Household Survey Division, National Statistics Office, the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Statistics Office, Field Operations Division, Coordination and Quality Control Division, Enterprise Survey Division and Household Survey Division, Lower Division Clerk, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix.**— The number of post, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lower Division Clerk.	239*(2026) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Non-selection.

Age limit of direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years. (relaxable for Government Servant up to the age of forty years in case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued	Essential: (i) 12 th pass from a recognised Board or University, and (ii) a typing speed of 35 word per minute in English or 30 word per minute in Hindi on computer (35 word per	Educational qualification –Yes, Age - No	Two years for direct recruits.

by the Central Government from time to time)	minute and 30 word per minute corresponding to 10500 key depression per hour or 9000 key depression per hour on an average of 5 key depressions for each word).		
Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.			

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
(i) Eighty five percent by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) Ten percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff, National Statistics Office in the Field Operations Division, Coordination and Quality Control Division, Enterprise Survey Division and Household Survey Division in level - 1 (Rs.18000 – 56900) in the pay matrix, possessing 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for departmental examination is Forty Five years (Fifty years of age for the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe). Note 1: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) Five percent of the vacancies shall be filled on seniority cum-fitness basis from Group 'C' employees who having three years regular service in the National Statistics Office, Field Operations Division, Coordination and Quality Control Division, Enterprise Survey Division and Household Survey Division in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix. Note 2: Promotion being effected State wise. Vacancies in the cadre of Lower Division Clerk shall be filled by direct recruitment against Eighty five percent quota in States or Union Territories and ten percent and five percent quota shall be filled up by departmental examination and by promotion respectively from Group 'C' employees in the level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix working in those offices.	As stated in column (10)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) in Delhi (Field Operations Divisions Hqrs., Agricultural Statistics Wing, Faridabad, Enterprise Survey Unit, Delhi, Regional Office, Delhi, Coordination and Quality Control Division) consisting of:- (i) Director (Administration) or Chief Administrative Officer, National Statistics Office, Field Operations Division, (Headquarter) - Chairperson; (ii) Deputy Director, National Statistics Office, Enterprise Survey Unit - Member; and, (iii) A Group 'A' Officer from any other Ministries or Department of the Central Government— Member. 2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) in States or Union Territories other than Delhi, consisting of :- (i) Deputy Director General (Region) or Director (Region) at State Capital - Chairperson; (ii) Deputy Director, Enterprise Survey Division or Household Survey Division or Field Operations Division (other Regional Offices in that State), National Statistics Office - Member; and, (iii) A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central or State Government – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/02/2026-Ad.III (E-90089)]

NEELAM ARORA, Under Secy.